



सीमाशुल्कआयुक्तकाकार्यालय
नवसीमाशुल्कभवन, पणंबूर, मंगलूर-५७५०१०
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS
NEW CUSTOMS HOUSE, PANAMBUR, MANGALURU – 575 010

Telephone No. 0824-2408164, website -www.customsmangalore.gov.in, Email- commr-cusmnglr@nic.in

Comp. No. 177459

दिनांक /Date: as e-signed

सार्वजनिकसूचनासं.03/2026
PUBLIC NOTICE No.03/2026

विषय: एससीएमटीआर के तहत एसएएम दाखिल करने में देखी गई समस्याएं और समुद्री प्रवेश से पहले पूरक आईजीएम संशोधन को निष्क्रिय करना

Sub: Issues observed in filing of SAM under SCMTR and disabling of Supplementary IGM amendment before Sea Entry Inwards

यह सूचित किया जाता है कि एनसीटीसी एससीएमटीआर के अंतर्गत सभी डेटा का उपयोग जोखिम विश्लेषण और व्यापार सुगमता के लिए नहीं कर पा रहा है, क्योंकि एसएएम (समुद्री आगमन घोषणापत्र) को 16.01.2025 से अखिल भारतीय स्तर पर लागू कर दिया गया है। यह देखा गया है कि कई फ्रेट फॉरवर्डर्स/कंसोलिडेटर्स समय पर सीएसएन संदेश के माध्यम से हाउस बीएल घोषित नहीं कर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप पोत संचालक ऐसे बीएल को सीधे बीएल (हाउस बीएल विवरण के बिना) के रूप में घोषित करते हुए एसएएम दाखिल कर रहे हैं, और बाद में फ्रेट फॉरवर्डर्स/कंसोलिडेटर्स द्वारा दाखिल किए गए पूरक आईजीएम संशोधन के माध्यम से हाउस बीएल जोड़े जा रहे हैं। पोत संचालक अपूर्ण बीएल भी दाखिल कर रहे हैं, और शेष बीएल पूरक संशोधन के माध्यम से जोड़े जा रहे हैं। हालांकि, पूरक आईजीएम के माध्यम से जोड़ी गई ऐसी लाइनों में एसएएम घोषणापत्र के अंतर्गत अनिवार्य अतिरिक्त पैरामीटर (जैसे: एचएसएन और सीआईएन (अद्वितीय कार्गो पहचान संख्या) पूरक आईजीएम संशोधन में उपलब्ध नहीं हैं) शामिल नहीं हैं, और इस आधार पर, एनसीटीसी जोखिम विश्लेषण और व्यापार सुगमता के लिए सभी डेटा का उपयोग करने में असमर्थ है।

It is to inform that NCTC is unable to consume all data under SCMTR for risk analysis and trade facilitation as even though SAM(Sea Arrival Manifest) has been implemented w.e.f. 16.01.2025 Pan-India. It has been observed that many freight forwarders/consolidators are not declaring the House BLs through CSN message timely, and thereby Vessel Operators are filing SAM declaring such BLs as a straight BL (without House BL details), and thereafter the House BLs are being appended through supplementary IGM amendment filed by the freight

forwarders/consolidators. Vessel operators are also filing incomplete BL, and rest BLs are added via supplementary amendment. However, such lines added through supplementary IGM, are without additional parameters as mandated under SAM manifest (eg: HSN and CIN (unique cargo identification number) are not available in supplementary IGM amendment) and because of this, NCTC is unable to consume all data for risk analysis and trade facilitation.

2. उपरोक्त के मद्देनजर, सिस्टम और डेटा प्रबंधन महानिदेशालय द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि समुद्री प्रवेश से पहले पूरक आईजीएम संशोधन 20.02.2026 से निष्क्रिय कर दिया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप, अपेक्षित परिणाम यह होगा कि:

क) फ्रेट फॉरवर्डर्स/कंसोलिडेटर्स समय पर अपना सीएसएन दाखिल करेंगे, और पोत संचालकों द्वारा एसएएम दाखिल करने में ऐसे सीएसएन और बीएल शामिल होंगे।

ख) समुद्री प्रवेश से पहले एसएएम/सीएसएन में बीएल का कोई भी जोड़/संशोधन एसएएम/एससीए (समुद्री आगमन संशोधन और समुद्री कार्गो संशोधन संदेश) के माध्यम से किया जाएगा, न कि पूरक आईजीएम संशोधन के माध्यम से। यह स्वचालित होगा और अधिकारी के माध्यम से नहीं भेजा जाएगा।

ग) समुद्री प्रवेश के बाद एसएएम/सीएसएन में बीएल का कोई भी जोड़/संशोधन अधिकारी के माध्यम से भेजा जाएगा, जहां अधिकारी एससीएमटीआर के तहत एसएएम/सीएसएन में बीएल को शामिल न करने के कारण पूछ सकते हैं, और मौजूदा प्रक्रियाओं के अनुसार पूरक संशोधन शुल्क लगाया जा सकता है।

2. In view of the above it has been decided by the Directorate General Of Systems & Data Management that the supplementary IGM amendment before Sea Entry Inwards would be disabled on 20.02.2026. Consequent to this, the expected result would be that:

a) Freight forwarders/ consolidators would file their CSN timely, and SAM filing by Vessel Operators would include such CSNs and the BLs.

b) Any addition/ amendment of BL in SAM/CSN before Sea Entry Inwards, would be done through SAA/SCA (sea arrival amendment and sea cargo amendment messages), and not through Supplementary IGM Amendment. This would be automatic and will not be routed through officer.

c) Any addition/ amendment of BL in SAM/ CSN after Sea Entry Inwards would be routed through Officer, where Officer may ask reasons for non-

inclusion of BL in SAM/ CSN under SCMTR, and supplementary amendment charges can be levied as per existing procedures.

(पी.विनीता शेखर / **P.VINITHA SEKHAR**)
आयुक्त / **COMMISSIONER**

प्रति:

1. सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क (सी.सी.ओ), बेंगलूरु अंचल, बेंगलूर, सूचना हेतु
2. तकनीकी अनुभाग /ई.डी.आई अनुभाग, मंगलूरु सीमाशुल्क, वेबसाइट में अपलोड करने हेतु
3. सीमाशुल्क ब्रोकर्स एसोसिएशन, मंगलूरु
4. स्टीमर एजेंट्स एसोसिएशन, मंगलुरु
5. सूचना पट्ट, एन.सी.एच, मंगलूरु

Copy to:

1. Assistant Commissioner of Customs (CCO), Bengaluru Zone, Bengaluru, for information.
2. Technical Section/EDI Section, Mangaluru Customs, for uploading in the website.
3. The Customs Brokers Association, Mangaluru.
4. The Steamer Agents Association, Mangaluru
5. Notice Board, NCH, Mangaluru.